

अचल सम्पत्ति प्रतिवेदन वर्ष - 2024
मुद्रांक संख्या पद निरीक्षक

वेतन वृद्धि की अगली तिथि

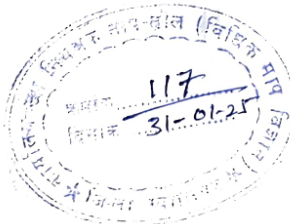
सं.	उस जिले उपरम्भांग तालूका तथा ग्राम का नाम सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा खोरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सकता है।	उस किस प्रकार अति किया खरीदा पट्टा कबक विरासत भेट ... अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिसस अर्जित की गई है उसका नाम तथा खोरे।	सम्पत्ति वार्षिक आय	से अनुमान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					निरंक			

क्रमांक 17 / नातौ / रथा / 2024

ग्यालियर दिनांक 17/1/2024

- जो लागू न हो काट दीजिये।
ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सार्वभूमि में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार की किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे देवे।



कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर
लक्ष्मी-चंद खन्ना

निरीक्षक नाथलै (म)
गुना